विहार विधान-सभा वादवृत्त ।

वृहस्पतिवार, तिथि १ मई, १९५८ ।

विषय सूची ।

		पृष्ठ ।
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—		
अतारांकित प्रश्न संख्या ..	५१, ९७..	१—५
तारांकित प्रश्न संख्या ..	७५, ११०३, ११०४, ११०५, ११०६	५—१९
प्रश्नों के लिखित उत्तर —		
अनागत प्रश्न संख्या ..	५१, ८१, २४२, ५३४, ५५८, ५६०, ५६८, ५६९, ७६०—७६३, ७६५—७६७, ७६९—७७३, ७७६—७८३, ७८५, ७८६, ७८८—७९३, ७९८—८०६, ८११—८१५, १०७९, १०८०, १०८७, १०९१, १०९६, ११०२, ११०७, ११०९, १११९—१११५, १११७, ११२१-११२२, ११२६, ११३०, ११३१।	२०—५८
दैनिक निबन्ध		५९

नोट —जिन सदस्यों एवं मंत्रियों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे ऐसा (*) चिन्ह लगा दिया गया है ।

श्री केदार पान्डेय—(१) बागमती नदी पर नूनथर के नजदीक नेपाल में रामछुआ नामक गांव के नजदीक बांध बांधने की योजना है। यह योजना अभी विचाराधीन है। अभी निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि यह योजना कब प्रारम्भ की जायगी, चूंकि इसमें नेपाल सरकार की सम्मति की भी आवश्यकता है।

(२) ऐसी कोई भी योजना नहीं है।

(३) प्रश्न खंड (१) और (२) के उत्तर के पश्चात प्रश्न ही नहीं उठता है।

*श्री ब्रजनन्दन शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि लालबकेया नदी एक वर्ष से नेपाल तराई के अन्दर बांध दी गयी है। उससे ढाका नहर सूख गयी है जिससे वहां की जनता को पटवन के काम में दिक्कत हो रही है। उसको दूर करने के लिए सरकार कोई कार्रवाई करने जा रही है?

श्री केदार पांडेय—ढाका केनाल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह दूसरी योजना है।

श्री ब्रजनन्दन शर्मा—इसका सम्बन्ध यों हो जाता है कि लालबकेया के बंध जाने से ढाका केनाल को जो पानी मिलता था वह अब नहीं मिल पा रहा है। इसलिए यह सवाल उठता है।

श्री केदार पांडेय—इसके लिए कोई योजना तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ढाका केनाल के फेल हो जाने से जो पटवन नहीं हो रहा है उसको कैसे पूरा किया जाय।

पसाह नदी से रक्षा का प्रबन्ध।

१४१४। श्री ब्रजनन्दन शर्मा—क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि चम्पारण जिले के आदापुर थाने की पसाह नदी की गहराई ७ फीट है;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त नदी अपना बहाव बदला करती है;

(३) क्या यह बात सही है कि उक्त नदी लोहनिहा गांव के पास अपना पुराना रास्ता छोड़कर मीलों पश्चिम भागकर नरकटिया और भूलवहीआ चौर की जमीन को बरबाद कर रही है;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर हां में हैं, तो सरकार उक्त नदी के नये रास्ते को रोककर पुराने रास्ते से बहाने के लिये उचित कार्रवाई करने का विचार रखती है?

श्री केदार पांडेय—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(४) इसकी जांच-पड़ताल की जा चुकी है तथा इन गांवों को पसाहा नदी की बाढ़ से बचाने के लिए एक योजना भलुआही चौर नाम से बनाई गई है जिसके प्राक्कलन (एस्टीमेट) की प्रौद्योगिक परीक्षा चल रही है।

श्री ब्रजनन्दन शर्मा—क्या सरकार यह बतायेगी कि त्रिवेणी एक्सटेन्शन स्कीम अदापुर थाने के बाढ़ इलाके में गयी है और दक्षिण की तरफ से सिकरहना नदी और उत्तर की तरफ से पसाहा नदी से आकर नरकटिया गांव के नजदीक भलुअहिआं चौर में पानी गिरता है और वहां की फसल बरबाद हो जाती है?

श्री केदार पांडेय—पसाहा और सिकरहना नदी की बाढ़ से बचाने के लिए योजना बन चुकी है और एस्टीमेट भी बन गया है। टेक्निकल कार्रवाई करने के बाद काम शुरू हो जायगा।

श्रीमती शकुन्तला अग्रवाल—बरसात के पहले हो जायगा?

श्री केदार पांडेय—बरसात के पहले कैसे होगा।

पुनपुन नदी के दाहिने किनारे पर बांध।

*१४१५। श्री शिव महादेव प्रसाद—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि पुनपुन नदी के केवल बायें तट पर फतुहा रेलवे लाईन तक पटना शहर को बचाने के हेतु सरकार एक बांध बांधने जा रही है;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त नदी के केवल एक ही ओर बांध बंधने से नदी का पूरा जल नदी के दाहिने किनारे से निकलेगा और उसका फल यह होगा कि फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़ तथा मोकामा थाने के अनेकों गांव जलमग्न होंगे;

(३) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उस नदी के दाहिने किनारे पर भी फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़ तथा मोकामा थाने की रक्षा के लिए बांध बनाना चाहती है, यदि हां; तो कबतक और नहीं, तो क्यों?

श्री केदार पांडेय—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) यह सही नहीं है कि पुनपुन नदी के बायें तट की ओर बांध बांधने से दाहिनी ओर के गांव में इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा।

(३) राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को योजना प्रेषित करते समय नदी के दोनों तटों पर बांध बांधने का प्रयोजन किया था, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने प्राद्योगिक दृष्टिकोण तथा अर्थाभाव के कारण दाहिनी ओर के बांध के प्रस्ताव को योजना से अलग कर दिया। फिर भी राज्य सरकार इस सम्बन्ध में जागरूक रहेगी और नदी में पानी की वृद्धि की जांच करती रहेगी और अगर इसके दाहिनी ओर भी तटबंध की आवश्यकता प्रतीत होगी तो उसके कार्यान्वयन के लिए फिर केन्द्रीय सरकार को लिखेगी।